प्रश्न सं. [क्र. 2156]

परिशिष्ट

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2156 द्वारा श्री अजय विश्नोई, माननीय सदस्य विधानसभा।

1. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग हेतु निर्धारित न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पेरामीटर के अन्तर्गत मिलर द्वारा धान मिलिंग में खपत की गई विद्युत की जानकारी बिजली कम्पनी से प्राप्त करनें तथा मिलर्स द्वारा धान कि की गई मिलिंग मात्रा में खपत होने वाली विद्युत का मिलान करने की व्यवस्था बनाई गई है।

2. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के परिवहन हेतु नियुक्त परिवहनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ट्रकों के पंजीयन का सत्यापन Unified Logistics Interface Platform (ULIP) साफ्टवेयर से किया गया। सत्यापन उपरान्त वाणिज्यिक वाहनों (Commercial Vehicle) का ही परिवहन में उपयोग किया गया।

3. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के उपार्जन केन्द्र से मिलर्स द्वारा धान के उठाव हेतु मिलर्स द्वारा बिल्टी जारी करने का प्रावधान किया गया जिससे मिलर्स द्वारा परिवहन में उपयोग किए जाने वाले वाहन, वाहन चालक तथा उपार्जन केन्द्र का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा।

4. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु जारी नीति के क्रियान्वयन हेतु जारी SOP में "उपार्जन केन्द्र से मिल पाइंट तक धान एवं मिल पाइंट से भारतीय खाद्य निगम/म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट गोदाम/प्रदाय केन्द्र तक परिवहन में उपयोग किये जाने वाले वाहनों में अनिवार्य रूप से GPS लगाये जाने का प्रावधान किया गया है एवं वाहनों की मॉनिटरिंग सेंट्रल कमांड कन्ट्रोल सेंटर से करने की व्यवस्था है।